

## कार्यालय उप वन संरक्षक डूंगरपुर

क्रमांक/एफ( ) /एफसीए/उवस/2016-17/10/05

दिनांक:- 22/11/2016

निमित्त,

अधिशायी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
डूंगरपुर राज.

विषय:- up gradation work from thana mewara to up to Gujrat border (in two lane) in District Dungarpur km 0/0 to 5/0,0/0 to 20/0 & 20/0 to 3720.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर से प्रस्ताव आक्षेपो के साथ ऑनलाईन पुनः प्राप्त हुए है। अतः आप बिन्दु बार आपसे सम्बन्धित आक्षेपो की पुर्ति कर हार्ड कॉपी एवं ऑनलाईन शीघ्र प्रेषित करने का श्रम करे। आक्षेपो का पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्न -उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ.एस.सरथ बाबू)  
उप वन संरक्षक  
डूंगरपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

जिला /वनमण्डल झुंजरपुर में थाना मेवाडा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 17/900 से 19/400 एवं 20/150 से 23/500 के मध्य सुदृढिकरण /विस्तार कार्य हेतु दिनांक 19.2.2015 को FP/RJ/ROAD/9317/2015 से 8.32 हे० का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। संशोधित 12.508 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में पार्ट II एवं पार्ट III की पूर्ती होने के पश्चात प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई KML file में चेनऐज नहीं अंकित किये गये हैं एवं जूम करने पर फाइल फट जाती है अतः संशोधन कर फाइल पुनः अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव में ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किये गये हैं इसके अलावा हार्ड प्रति में भी संलग्न नहीं किये गये हैं।
3. मुख्य वन संरक्षक द्वारा एक हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई है जबकि दो हार्ड प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
4. पार्ट II के बिन्दु संख्या 12 में प्रस्ताव के उलंघन की वर्तमान स्थिति अंकित नहीं की गई है।
5. पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 (IIII) में प्रस्तुत की गई सी०ए० भूमि पर वृक्षारोपण एवं संधारण की योजना इस कार्यालय द्वारा जारी की गई दरों के अनुरूप योजना नहीं है। संशोधित योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव में एन०पी०वी० योजना संलग्न नहीं की गई है।
7. उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव शर्त (विभिन्न स्थानों पर अन्डरपास के निर्माण, रिटेनिंग वाल का निर्माण एवं डिमार्केशन हेतु लूज स्टोन वाल का निर्माण) अग्रेषित किया गया है। यूजर ऐजेन्सी, इन सभी पर अपनी भुगतान करने की सहमति का शपथ पत्र प्रस्तुत करे। उप वन संरक्षक अधिरोपित शर्तों की योजना मय लागत बनाई जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में उपरोक्त सूचना ऑनलाईन प्राप्त की जानी है। अतः मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को सूचना ऑनलाईन भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।